न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2019RAAJu225RTA146 Premlata Vs State

प्रेमलता पत्नी श्यामसिंह घांची
निवासी सरप्रताप स्कूल के सामने
जोधपुर

----- अपीलाण्ट

ब

ना

म

1. राजस्थान राज्य ज़रिये तहसीलदार जोधपुर
2. खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग
   सर्किट हाउस रोड, जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर दिनांक 13 अगस्त 2019 राजस्व प्रकरण संख्या 03/2014 राजस्थान सरकार बनाम प्रेमलता

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री सत्यनारायण राजपुरोहित, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक व दो

नि र्ण य

दिनांक : 13 दिस., 2019

अपीलाण्ट ने यह अपील विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखंण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 03/2014 राजस्थान सरकार बनाम प्रेमलता में पारित निर्णय दिनांक 13 अगस्त 2019 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 11 अक्तूबर 2019 को पेश की है।

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार जोधपुर ने राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत एक प्रार्थनापत्र पेश जाहिर किया कि खनिज विभाग द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु एक दल बनाया जाकर विशेष अभियान के तहत किये गये निरीक्षण के दौरान उक्त अप्राथी की खातेदारी के खसरा संख्या 6 व 14 रकबा कमशः 86 बीघा 11 बिस्वा एवं 10 बीघा 18 बिस्वा कृषि भूमि पर अवैध खनन कराये जाना पाये जाने पर मौका रिपोर्ट तैयार की गयी। अप्राथी द्वारा उक्त अवैध खनन से उपजाऊ कृषि भूमि को नुकसान पहुँचाया जा रहा है और आस-पडौस के काश्तकारों के जीवन को खतरा उत्पन्न किया जा रहा है। उसके इस कृत्य के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाने का प्रावधानों का उल्लेख करते हुए उक्त अप्राथी-अपीलाण्ट के वादग्रस्त आराजियात बाबत खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाने का निवेदन किया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अगस्त 2019 को स्वीकार कर लिया गया। जिसके खिलाफ अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील पेश की है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि: --

1. पेशी दिनांक 02 नवम्बर 2018 की आदेशिका में यह वर्णित किया जाना सरासर गलत है कि अप्रार्थी को जबाब के काफी अवसर दिये जा चुके है, अब अप्रार्थी के जबाब का अवसर बंद किया जाता है। वस्तुत अपीलाण्ट पर कोई नोटिस/सम्मन तामील ही नहीं हुआ और न ही अपीलाण्ट की तरफ से अधीनस्थ न्यायालय में कोई अधिवक्ता उपस्थित हुए।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2. विद्वान अधिवक्ता-अपीलाण्ट द्वारा यह भी जाहिर किया गया कि 21 फरवरी 1990 को अपीलाण्ट के पति स्व. श्यामलाल घांची द्वारा वादग्रस्त आराजियात के संबंध में भूमि-सुधार हेतु तहसीलदार जोधपुर द्वारा उनके पत्रांक राजस्व/1326 दिनांक 21.2.90 से 96 बीघा भूमि में 18 फीट गहराई तक पत्थर की खुदाई की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, बाद में अपीलाण्ट एवं उसके पति में वादग्रस्त आराजियात में मतस्य-पालन की योजना बनाई जिसमें राज्य सरकार की सब्सिडी भी थी और उप-निदेशक, मत्सय पालन विभाग जोधपुर ने अपने पत्र दिनांक 04 सितम्बर 1992 में मतस्य पालन हेतु गढ्ढे खोदने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तहसीलदार जोधपुर द्वारा अपने पत्रांक राजस्व/96/857 दिनांक से 18 जुलाई 1996 को भी उपरोक्त भूमि में से पत्थर निकालने की अनुमति दी थी।

3. उपरोक्त भूमि के संबंध में एक सिविल वाद संख्या 112/2001 श्यामलाल जरिये कायममुकामान बनाम राजस्थान सरकार व अन्य, न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (क.ख.) संख्या 7 जोधपुर द्वारा जो दिनांक 08 मई 2003 को अपीलाण्ट के पक्ष में निर्णित किया गया, की छाया प्रति न्यायालय के समक्ष अपील स्तर पर पेश की गयी, जिसमें अपीलाण्ट पक्ष द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा सख्या 06 व 14 की भूमि पर मत्स्य पालन हेतु गढ्ढों आदि खुदवाने का कार्य विधिवत अनुमति प्राप्त कर करवाया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मतः मानते हुए मामले का निर्णय रेस्पो. के पक्ष में पारित किया गया है। सिविल न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के उक्त कार्य को किसी भी दृष्टिकोण से खनन कार्य मानने से स्पष्ट इंकार किया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं पर संबंधित के हस्ताक्षर नहीं होने का भी उल्लेख किया। साथ ही यह भी कथन किया कि खनन का कोई मामला है ही नहीं, वस्तुतः मौके पर फसल खडी है, खनन विभाग के जिस विशेष अभियान के दौरान जॉच एवं मौके पर रिपोर्ट की बात प्रार्थनापत्र में बताई गयी, ऐसी कोई जांच रिपोर्ट भी अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय की रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं होना अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा जाहिर किया गया। यहॉ तक कि जो मौका रिपोर्ट खसरा संख्या 324 बाबत पटवारा हळका द्वारा तैयार की गयी, उसमें भी किसी प्रकार का खनन नहीं होना वर्णित किया गया है।
5. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने यह भी कथन किया कि अदालत हाजा द्वारा भी पूर्व में यह मामला जुर्माना राशि की गणना के आधार के अभाव, तथाकथित अवैध खनन के क्षेत्रफल की गणना का अभाव, इस संबंध में अनुमति दिये जाने संबंधित तहसीलदार की क्षमता, तीन फीट से अधिक गहरे गड्ढे कृषि कार्य हेतु खोदने की अनुमति दिये जाने की क्षमता आदि के बारे में नियमानुसार विधिसम्मतः तौर पर वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए पुनः निर्णय पारित किये जाने हेतु मामला दिनांक 23 दिसम्बर 2016 को रिमाण्ड किया गया था।
6. अंत में अधिवक्ता अपीलाण्ट ने निवेदन किया कि अपील गुणावगुण पर स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील खातेदारी की कृषि भूमि का बिना सक्षम स्वीकृति के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग करते हुए अवैध खनन किया है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत असंवैधानिक कृत्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है। अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतांपूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। जिससे पाया जाता है कि -

1. अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 दिनांक 7 फरवरी 2014 को दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिकाओं के अवलोकन से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दिनांक 07 फरवरी 2014 को संस्थित किया जाकर दिनांक 13 अगस्त 2019 को निस्तारित किया गया। इस सम्पूर्ण अवधि में लिखी गयी समस्त 50 से भी अधिक आदेशिकाओं में से मात्र निम्नलिखित छः आदेशिकाओं के अतिरिक्त किसी भी आदेशिका पर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी या अन्य किसी प्राधिकृत कर्मचारी के हस्ताक्षर किये हुए नही है --

   i. 7 फरवरी 2014,
   ii. 14 फरवरी 2014,
   iii. 25 फरवरी 2014,
   iv. 11 जून 2015

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

v. 15 दिसम्बर 2017

vi. 13 अगस्त 2019

इससे साफ जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण की कार्यवाही के प्रति घोर लापरवाही एवं प्रमाद बरता गया है। पत्रावली में अभिलेख की क्या स्थिति है, आदेशिकाओं में क्या लिखा जा रहा है, पक्षकारान की उपस्थिति/तामील की क्या स्थिति है, आदेशिकाओं में क्या वर्णित किया जा रहा है। कही कोई तारतम्य ही नहीं है। यहॉ तक कि अप्रार्थी-अपीलाण्ट पर कोई भी सम्मन तामील नहीं होने, उसकी ओर से स्वयं वह अथवा अन्य किसी अधिवक्ता के भी उपस्थित नहीं होने के उपरान्त भी दिनांक 02 नवम्बर 2018 की आदेशिका में यह वर्णित किया जाना कि अप्रार्थी को जबाब के काफी अवसर दिये जा चुके है, अब अप्रार्थी के जबाब का अवसर बंद किया जाता है।

2. समूचे प्रकरण में खसरा संख्या 06 व 14 रकबा कमशः 86 बीघा 11 बिंस्वा एवं 10 बीघा 18 बिस्वा में अपीलाण्ट द्वारा अपने हिस्से पर अवैध खनन किया जाना वर्णित करते हुए अपीलाधीन आदेश के जरिये उक्त भू-भाग बावत अप्राथी-अपीलाण्ट की खातेदारी निरस्त की जाकर यह भू-भाग राजकीय सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार को दिये गये है। **मगर अपीलाण्ट के हिस्से का यह भू-भाग विशेष है कौनसा? कहीं पर भी सुनिश्चित नहीं किया गया** है। मौका रिपोर्ट तक में अवैध खनन वाले भू-भाग विशेष की अवस्थिति/हदूदो आदि का विवरण नहीं दिया गया है।

3. अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के विन्दु संख्या तीन में वर्णित किया गया है कि अप्रार्थी खनि-विभाग द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु एक दल बनाया जाकर विशेष अभियान के तहत तहसील क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। प्रार्थनापत्र के बिन्दु 4 में उक्त दल द्वारा

प्राधिकारी
जोधपुर

वक्त निरीक्षण वादग्रस्त आराजी में अवैध खनन किया/करवाया जाना पाया जाने पर दल द्वारा रिपोर्ट तैयार किया जाना अंकित किया गया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसी कोई रिपोर्ट या उसकी प्रति उपलब्ध नहीं है और न ही ऐसी किसी कार्यवाही की दिनांक, ऐसे किसी दल के मुखिया आदि के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध है। यहाँ तक कि जो मौका रिपोर्ट दिनांक 11 मार्च 2003 खसरा संख्या 06 एवं 14 बाबत पटवारा हलका द्वारा तैयार की गयी, उसमें भी किसी प्रकार का खनन नहीं होना वर्णित किया गया है।

4. ऐसी स्थिति में, जबकि किसी प्रकार का कोई खनन कार्य होने संबंधित रिपोर्ट ही उपलब्ध नहीं है, तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश सर्वथा आधारहीन होने के कारण कायम रखे जाने योग्य ही नहीं पाया जाता है।
5. पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर तहसीलदार द्वारा वादग्रस्त आराजी में अपीलाण्ट के पति को 18 फीट तक खुदाई करने की अनुमति, मत्स्य पालन हेतु, औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करने बाबत दो बार अनापत्ति, माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग 7 जोधपुर के दीवानी मूल वाद संख्या 112/2001 में पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अपीलाण्ट द्वारा अवैध खनन किया जाना साबित नहीं होता है।
6. यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजी के अन्य सभी सहखातेदारान को मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश समर्थन किये जाने योग्य नहीं रहता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अदालत हाजा की राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अगस्त 2019 आधारहीन पाया जाता है जो विधिसम्मतः नहीं होने से बहाल रखे जाने योग्य नहीं पाया जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है और अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अगस्त 2019 अपास्त किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

13/12/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर